न्यायालय सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः- अरूण कुमार जैन (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः- 279/2025
जीसीएमएस नम्बर :-2025/00863

1- श्रीमती प्रेम पुत्री स्व. श्री गिरधारी दरोगा पत्नी श्री श्याम सिंह दरोगा, आयु वयस्क, निवासी कोचरिया हाल बिगोद, तहसील माण्डलगढ़, जिला भीलवाड़ा (राज.)

2- श्रीमती सजना पुत्री स्व० श्री गिरधारी दरोगा पत्नी श्री भगवान लाल दरोगा, निवासी-कोचरिया हाल कल्याणपुरा, तहसील हमीरगढ़, जिला भीलवाड़ा (राज०)

-----**वादीगण** (प्रार्थीगण)

-: बनाम :-

1- रामेश्वर पुत्र श्री होकमा दरोगा, जाति दरोगा, आयु वयस्क, निवासी कोचरिया, तहसील व जिला भीलवाडा (राज.)

2- श्रीमती देउ पत्नि रामेश्वर दरोगा, जाति दरोगा, आयु वयस्क, निवासी कोचरिया, तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)

3- निरस्त

4- श्रीमती गीता पुत्री स्व० श्री गिरधारी दरोगा पत्नी श्री भुवाना दरोगा, निवासी कोचरिया हाल हमीरगढ़, तहसील हमीरगढ़, जिला भीलवाड़ा (राज०)

5- निरस्त

6- राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाडा (राज०)

7- उपपंजीयक, पंजीयन कार्यालय भीलवाडा।

---**प्रतिवादीगण** (अप्रार्थीगण)

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92-क एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 एवं धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता

उपस्थित–

1– श्री जयकृत सिंह राठौड अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 1 व 2 **(प्रार्थीगण)**

2– श्री राकेश जैन अभिभाषक वादीगण

3– श्री मोहम्मद अंसारी अभिभाषक प्रतिवादी सं0 4

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

निर्णय दिनांक 16/03/2026

1. संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व मूल वाद संख्या 35/2016 बउनवानी प्रेम वगैरह बनाम रामेश्वर वगैरह निर्णीत दिनांक 13.02.2025 के शीर्षक में दर्ज प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने जरिये अधिवक्ता इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.05.2025 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 एवं धारा 151 जा0दी0 विरूद्ध वादीगण व प्रतिवादी संख्या 4, 6 व 7 प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम मय शपथ पत्र पृथक से प्रस्तुत किया गया। जिस पर रिपोर्ट उपरान्त प्रकरण संख्या 279/2025 बउनवानी प्रेम वगैरह बनाम रामेश्वर वगैरह दर्ज रजिस्टर कर विधिक प्रक्रिया प्रारम्भ की गई।

सुविधाजनक पठन/समझने के लिए यहाँ यह अंकित करना आवश्यक है कि उक्त वाद संख्या 35/2016 के शीर्षक में संयोजित पक्षकारान् को हस्तगत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 एवं धारा 151 सी0पी0सी0 में हूबहू संयोजित किया गया है। उक्त वाद संख्या 35/2016 के शीर्षक में दर्ज प्रतिवादी संख्या 1 व 2 हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुतकर्ता/प्रार्थीगण है।

2. प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने अपने प्रार्थना पत्र में इस आशय का कथन किया कि- वादीयागण द्वारा उक्त अनवान सदर का एक वाद न्यायालय श्रीमान् में दिनाक 01.06.2016 को प्रस्तुत किया गया जिस पर न्यायालय श्रीमान् द्वारा जांच कर प्रकरण दर्ज किया गया, जिसके प्रकरण संख्या 35/2016 राजस्व वाद अंकित किया गया एवं प्रतिवादीगण का नोटिस जारी किये गये।

उक्त प्रकरण में आगामी तारीख पेशी 23.06.2016 नियत की गयी जिसके सम्मन प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 को प्राप्त होने पर प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 द्वारा श्री मनोज कुमावत को अपनी ओर से अधिवक्ता नियुक्त किया गया एवं उक्त प्रकरण में प्रार्थीगण की ओर से आगामी सम्पूर्ण कार्यवाही करने बाबत् अधिकृत किया गया, जिस पर अधिवक्ता द्वारा हम प्रार्थीगण से कुछ हरे कागजों पर हस्ताक्षर करवाये गये एवं कहा गया कि इस पर आपकी ओर से जबाब दावा लिखकर न्यायालय में पेश किया जायेगा।

इसके उपरान्त हमारे अधिवक्ता द्वारा हमे यह कहा गया अब आपकी आवश्यकता गवाह के समय होगी, बार-बार कोर्ट में आने की आवश्यकता नही है। आपकी ओर से पैरवी में करूंगा, परन्तु उसके बावजुद भी हम प्रार्थीगण समय-समय पर अधिवक्ता से आकर मिलते तो वो हमें आगामी तारीख बताकर भेज देते कि अभी पत्रावली में कोई कार्यवाही नहीं हो रही है (पत्रावली की फर्द अहकाम देखने

सहायक कलेक्टर
श्रीलवाड़ा

से यही प्रतित होता है कि दिनांक 23.08.2016 से लेकर दिनांक 17.12.2024 तक पत्रावली में सील लगाकर केवल मात्र तारीखे तब्दील की गयी। जिस कारण से प्रार्थीगण नियमित रूप से न्यायालय में उपस्थित नहीं होकर थोडे-थोड़े समय के अन्तराल में अधिवक्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रकरण की जानकारी लेते रहत थे।

प्रार्थीगण ने दिनांक 24.01.2025 को अन्तिम बार पेशी पर आये उस समय कोर्ट नहीं लगने के कारण आगे की तारीख उस दिन नहीं दी गयी। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने कहा कि आज कोर्ट नहीं लगेगी तथा तारीख लेट देगें इसलिये एक-दो दिन में आकर अगली तारीख की मालूम कर लेना।

इसके उपरान्त प्रार्थीगण द्वारा कई मर्तबा अपने अधिवक्ता से तारीख की जानकारी चाही तो उन्होनें कहा कि अभी तारीख आयी नाही, आयेगी तो मैं जानकारी करके बता दूंगा।

हाल ही में दिनांक 23.05.2025 को गांव के कुछ व्यक्तियों ने बताया कि तुम्हारे खाते में तो प्रेम और सजना (वादीगण) का नाम का नाम जुड़ गया, जिस पर हम प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 24 व 25 मई 2025 को राजकीय अवकाश होने से दिनांक 26.05.2025 को न्यायालय में आकर जानकारी की तो पता चला कि उक्त प्रकरण में दिनांक 31.01.2025 को प्रार्थीगण प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 के विरुद्ध एक्स पार्टी अमल में लायी गयी है एवं दिनांक 13.02.2025 को उक्त प्रकरण में एक्स पार्टी निर्णय पारित कर दिया गया। जिसे निरस्त कराये जाने बाबत् प्रार्थनापत्र पेश है।

इतना ही नहीं उक्त प्रकरण दिनांक 03.02.2025 को प्रतिवादी संख्या 06 व 07 की तलबी हेतु नियत था जिस बाबत आगामी तारीख पेशी दिनाक 10.02.2025 नियत की गयी थी, परन्तु दिनांक 10.02.2025 को प्रतिवादी संख्या 06 व 07 की तलबी नहीं होते हुए भी न तो तलबी बन्द की गयी और ना ही आगे जारी रखी गयी किसी प्रकार का कोई आदेश पारित नहीं किया गया और साक्ष्य वादी का शपथपत्र लिया जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत कर दी गयी जो कि विधिक प्रक्रिया का दुरूपयोग है।

उक्त प्रार्थीगण प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 को उक्त निर्णय एवं डिक्री की जानकारी दिनांक 23.05.2025 को हुई जिस कारण से दिनांक

सहायक ...3/26
भीलवाड़ा

15.03.2025 से आज दिनांक 28.05.2025 तक समय कण्डोन किये जाने बाबत् धारा 05 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थनापत्र साथ में पेश है!

उक्त निर्णय एवं डिक्री प्रार्थीगण प्रतिवादीगण को सुने बगेर पारित की गयी है। जिस कारण से प्रार्थीगण प्रतिवादीगण न्याय से वंचित रह जायेगें। जिस कारण से प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त निर्णय एवं डिक्री को अपास्त किया जाकर पुनः सुनकर निर्णय किया जाना न्यायोचित होगा।

उक्त एक तरफा कार्यवाही प्रार्थीगण के विरूद्ध अमल में लायी गयी जिसमें प्रार्थीगण प्रतिवादीगण 1 व 02 का किसी प्रकार का दोष नहीं है, क्योंकि प्रार्थीगण अपने अधिवक्ता के विश्वास पर रह गये थे एवं अधिवक्ता की गलती की सजा प्रार्थीगण को दिया जाना न्यायोचित नहीं होगा। जिस कारण से दिनांक 13.02.2025 को पारित एक पक्षीय निर्णय एवं डिक्री को अपास्त किया जाना न्यायोचित होगा।

उपरोक्त कारण से प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाना न्यायहित में उचित होगा।

प्रार्थनापत्र की ताईद में प्रार्थीगण का शपथपत्र पेश है।

अतः श्रीमान से सादर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर दिनांक 13.02.2025 को पारित निर्णय एवं डिक्री को खारिज फरमाया जावें एवं दिनाक 31.01.2025 को प्रार्थीगण के विरुद्ध पारित एकतरफा आदेश को सेटेलाईट किये जाने का आदेश फरमायें।

3- न्यायालय द्वारा दिनांक 02.08.2025 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण की तलबी जरिये तलबाना करने के आदेश पारित किये गये। दिनांक 15.07.2025 को वादी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री राकेश जैन द्वारा अण्डरटेकिंग प्रस्तुत की गई। दिनांक 09.09.2025 को मूल वाद के वादी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री राकेश जैन द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से अधिवक्ता श्री मो0सलीम द्वारा अण्डरटेकिंग प्रस्तुत की गई।

4- दिनांक 04.12.2025 को मूल वाद के प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से अधिवक्ता श्री मो0सलीम अंसारी द्वारा अधिकार-पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो शामिल मिसल है तथा दिनांक 07.01.2026 को मूल वाद के वादीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 एवं धारा 151 सी0पी0सी0 पेश किया गया जो शामिल मिसल है।

5- मूल वाद के प्रतिवादी संख्या 4 तथा वादीगण की ओर से **जवाब प्रार्थना पत्र** पृथक-पृथक अवश्य प्रस्तुत किये गये परन्तु दोनों

सहायक

ने एकसमान हूबहू जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो निम्नांनुसार है–

प्रार्थना पत्र की धारा संख्या 1 में वर्णितानुसार वादीगण/विपक्षी द्वारा वाद प्रस्तुत करना, दर्ज रजिस्टर होना एवं प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किया जाना स्वीकार है।

प्रार्थना पत्र की धारा संख्या 2 का उत्तर हे कि उक्त प्रकरण में आगामी तारीखपेशी दिनांक 23.08.2016 नियत की जाना स्वीकार है। उक्त प्रकरण की विधिवत् व सम्यक तामील होने पर प्रार्थीगण/ प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री मनोज कुमावत का वकालतनामा प्रस्तुत हुआ, इस धारा में वर्णित शेष तथ्य जवाबदाता की जानकारी में नहीं होने से अस्वीकार है, किन्तु यहां यह अंकन किया जाना समीचिन है कि खाली हरे कागजो पर किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किया जाना सामान्य अनुक्रम में सम्भव नहीं है।

प्रार्थना पत्र की धारा संख्या 3 जिस कदर अंकित की गई है गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण द्वारा जानबुझकर न्यायालय को भावनात्मक बहाव की ओर ले जाने के दुराशय से इस तरह के मिथ्या तथ्य इस धारा में अंकित करवाये हैं, जबकि अगर पक्षकार अपने हक अधिकारों के प्रति जागरूक होता तो इस तरह की लेखनी उपयोग में लिये जाने की आवश्यकता ही नहीं थी। प्रार्थीगण / प्रतिवादी संख्या 1 व 2 पर सम्मन की तामिल हो जाने के उपरान्त कई अवसर जवाबदावा हेतु प्रदत्त किये गये, तत्पश्चात दिनांक 24/02/2021 को आदेशिका अनुसार भी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को जवाबदावा हेतु अन्तिम अवसर प्रदत्त किया गया, किन्तु उसके पश्चात भी प्रार्थीगण / प्रतिवादी संख्या-1 व 2 द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया गया जो स्पष्टतः प्रार्थीगण प्रतिवादी सख्या-1 व 2 की उदासीनता का परिचायक है, यदि प्रार्थीगण / प्रतिवादी सख्या-1 व 2 एक्टीव मोड में होते तो अधिवक्ता महोदय द्वारा जवाबदावा अवश्य प्रस्तुत कर दिया जाता, किन्तु प्रार्थीगण / प्रतिवादी सख्या 1 व 2 द्वारा सारा लांछन अपने पूर्व अधिवक्ता पर लगाकर अपने विधिक दायित्वों से बचना चाहते हैं जिसकी अनुमति कदापि नहीं दी जा सकती है, वैसे भी किसी भी अधिवक्ता द्वारा पक्षकार को पेशी पर आने से मना नहीं किया जाता है। प्रार्थीगण प्रतिवादी संख्या-1 व 2 द्वारा मिथ्या एवं आधारहीन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है. जो निरस्त होने योग्य है।

प्रार्थनापत्र की धारा सख्या 4 व 5 जिस कदर अंकित की गई है, गलत होने से अस्वीकार है। न्यायालय में सदैव नियत तारीख पेशी को ही अगली तारीख पेशी दी जाती है यहीं नहीं आजकल प्रकरण में तारीख पेशी की जानकारी ऑनलाईन भी की जा सकती है। प्रार्थीगण ने न्यायालय को

सहायक लोक... 26
भीलवाड़ा

अनित करने के आशय से मात्र अपने पूर्व अधिवक्ता पर मिथ्या दोषारोपण ही किया है प्रार्थीगण द्वारा इन धाराओं में अंकित तथ्य विश्वास योग्य नहीं है, जिससे प्रार्थी का प्रार्थनापत्र निरस्त होने योग्य है।

प्रार्थनापत्र की धारा संख्या 6 गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण द्वारा यह अंकित करना की गाँव के कुछ व्यक्तियों द्वारा खाते में प्रेम व सजना का नाम जुड जाने बाबत् बताया गया है, जो तथ्य आश्चर्यप्रद एवं हास्याप्रद है. क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के खाते की जानकारी भला क्यों रखेगा। प्रार्थीगण द्वारा मात्र कपोलकल्पित एवं मिथ्या कहानी गढ़ यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है. जिससे यह प्रार्थनापत्र निरस्त होने योग्य है।

प्रार्थनापत्र की धारा सख्या-7 गलत होने से अस्वीकार है। इस धारा में वर्णित तथ्य प्रार्थीगण से Irrelevant है एवं न ही प्रार्थीगण को इस बाबत कोई आपत्ति रखाने का अधिकार ही है। वैसे भी वादीगण द्वारा अपने वादपत्र में स्पष्टतया प्रतिवादी संख्या 67 के विरुद्ध कार्यवाही नहीं चाहने बाबत अंकन कर दिया था। न्यायालय श्रीमान् द्वारा किसी कदर विधिक प्रक्रिया का दुरूपयोग नहीं किया गया है। प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र आधारहीन होने से निरस्त होने योग्य है।

प्रार्थनापत्र की धारा सख्या 8 गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्पष्टतया बैरून मियाद है एवं प्रार्थीगण ने विलम्ब का कोई समुचित कारण भी अंकित नहीं किया है, ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का यह प्रार्थनापत्र बैरून मियाद होने से निरस्तनीय है।

प्रार्थनापत्र की धारा संख्या 9 गलत होने से अस्वीकार है। प्रश्नगत वादपत्र में प्रार्थीगण को सुनवाई हेतु समुचित एवं पर्याप्त अवसर प्रदान किये गये, जिससे उक्त निर्णय व डिक्री को कानूनन अपास्त नहीं किया जा सकता है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थनापत्र असत्य व आधारहीन होने से निरस्तनीय है।

प्रार्थनापत्र की धारा संख्या-10 व 11 गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण ने अपने अधिवक्ता पर मिथ्या दोषारोपण किया है, पक्षकार अपने अधिवक्ता पर मिथ्या लाछन लगाकर अपने विधिक दायित्वों से नहीं बच सकता है। प्रार्थीगण की प्रकरण में घोर लापरवाही व उदासीनता रही है। प्रार्थीगण किसी कदर उक्त निर्णय व डिक्री दिनांकित 13/02/2025 को अपास्त कराने के कानूनन अधिकारी नहीं है। प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र आधारहीन होने से निरस्तनीय है।

3/2/

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रार्थनापत्र की धारा संख्या-12 का उत्तर है कि प्रार्थीया ने झूठा शपथपत्र पेश किया है, जिसके खण्डन में शपथपत्र पेश है।

अपना कथन में अंकित किया कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के सम्मन की विधिवत् व सम्यक तामिल प्रार्थीगण / प्रतिवादीगण को हुई फलस्वरूप उनकी ओर से अधिवक्ता श्री मनोज जी कुशवाहा का वकालतनामा पेश हुआ, तत्पश्चात प्राथीगण /प्रतिवादी सख्या व 2 को जवाबदावा हेतु कई अवसर मिले किन्तु उक्त जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किये जाने पर न्यायालय श्रीमान द्वारा प्रार्थीगण /प्रतिवादी सख्या-1 व 2 को जबाबदावा हेतु दिनाक 24/02/2021 को अन्तिम अवसर प्रदान किया गया एवं उसके पश्चात भी अवसर प्रदत्त किये गये, उसके बाद दिनांक 18/12/2024 व 07/01/2025 की आदेशिका पर न्यायहित में पुनः प्रार्थीगण / प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को जवाबदावा हेतु अवसर प्रदान किया गया, इसके बाद दिनांक 16/01/2025 की पेशी पर पुनः प्रार्थीगण / प्रतिवादी संख्या-1 व 2 को 200/- रूपये की कोस्ट पर जवाबदावा हेतु अवसर प्रदान किया गया, किन्तु फिर भी प्रार्थीगण / प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया गया, इसके बावजूद भी दिनांक 31/01/2025 को प्रार्थीगण / प्रतिवादी संख्या 1 व 2 व उनके अधिवक्ता जानबूझकर उपस्थित नहीं हुए, जिससे न्यायालय श्रीमान् द्वारा विधि अनुसार अग्रीम कार्यवाही की गयी, इसके पश्चात दिनांक 03/02/2025 व 10/02/2025 की पेशी नियत रही, तत्पश्चात दिनांक 13/02/2025 की पेशी पर बहस सुनी जाकर प्रकरण में निर्णय व डिक्री पारित की गयी, जो पूर्णतः विधि सम्मत है।

इस प्रकार प्रार्थीगण / प्रतिवादी सख्या 1 व 2 को न्यायालय श्रीमान् द्वारा समुचित एवं पर्याप्त अवसर प्रदत्त किये गये, किन्तु प्रार्थीगण प्रतिवादी संख्या-1 व 2 तथा उनके अधिवक्ता की घौर उदासीनता व लापरवाही परिलक्षित होती है। प्रार्थीगण / प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने अपने प्रार्थनापत्र में जिन कारणों को प्रकरण को रेस्टोर किये जाने हेतु अंकित किया है, वे कारण सामान्य अनुक्रम में सम्भव नहीं है, यदि प्रार्थीगण / प्रतिवादी संख्या 1 व 2 सक्रियतापूर्वक प्रकरण की कार्यवाही में भाग लेते तो उनकी ओर से इतने अवसर दिये जाने के बावजूद भी जवाबदावा प्रस्तुत ना हो यह सामान्य क्रम में कतई सम्भव नहीं है। प्रार्थीगण प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने मिथ्या कहानी गढ़ मात्र अपने अधिवक्ता पर झूठे लाछन लगाकर अपनी लापरवाही को छीपाने का कुत्सित प्रयास मात्र किया है. वैसे

सहायक 16/3/26

भी अधिवक्ता द्वारा प्रकरण की जानकारी नहीं दिये जाने का कथन "उपसंजात नहीं होने का समुचित एवं न्याय संगत कारण नहीं है, यहाँ पर यह अंकित किया जाना भी समिचिन है कि न्याय शास्त्र के अनुसार भी जो पक्षकार अपने अधिकारों के प्रति सोया रहता, विधि मदद नहीं करती है। प्रत्येक पक्षकार को न्याय प्राप्त करने के लिए स्वयं जागरूक रहना होता है। प्रश्नगत प्रकरण में प्रार्थीगण / प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की सम्यक जागरूकता प्रकट नहीं होती है. जिससे प्रार्थीगण /प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का यह प्रार्थनापत्र किसी कदर पोषणीय न होने से निरस्त होने योग्य है।

राजस्व मामले में पक्षकारों का यह कदाचरण सामान्यतः रहता है कि पहले प्रकरण को येन-केन प्रकारेण विलम्बित करें एवं जब पराकाष्टा हो जावे तो अपनी एकपक्षीय कार्यवाही करवा निर्णय होने देंवे, तत्पश्चात झूठी व मनगढन्त कहानी गढ़ पुनः निर्णय व डिक्री को अपास्त कराने की कार्यवाही करें, जिससे प्रकरण में तारीख पे तारीख पडती रहे और प्रकरण विलम्बित होता रहे और वादी न्याय से वंचित होता रहे। प्रश्नगत प्रकरण वर्ष 2016 से लम्बित है एवं प्रार्थीगण / प्रतिवादी सख्या 1 व 2 द्वारा वर्ष 2025 तक जवाबदावा भी प्रस्तुत नहीं किया गया एवं उसमें अपनी एकपक्षीय कार्यवाही होने दी और निर्णय डिक्री पारित होने के उपरान्त पुनः यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर दिया, जो प्रार्थीगण / प्रतिवादी संख्या-1 व 2 के कदाचरण का द्योतक है एवं प्रार्थीगण / प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का उक्त कृत्य न्याय में बाधक है, जिसे न्यायालय द्वारा ऐसे दुष्कृत्य को संरक्षण प्रदान न करते हुए प्रार्थीगण /प्रतिवादी संख्या-1 व 2 द्वारा प्रस्तुत वेग एवं झूठे प्रार्थनापत्र पर विचार भी नहीं करते हुए खारिज कराया जाना आवश्यक है ताकि न्याय प्राप्ती के याचकों का न्यायालय पर अडिग विश्वास बना रहे।

विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि आदेश 9 नियम 11 सीपीसी के आवेदन का स्कॉप काफी सीमित है, प्रश्नगत प्रकरण पर आदेश 9 नियम 13 सीपीसी के तहत विचारणीय प्रश्न विद्यमान नहीं है प्रश्नगत प्रकरण में प्रार्थीगण / प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की विधिवत् व सम्यक तामिल हुई है एव प्रकरण में व्यक्तिगत एवं अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थिति भी हुई है। दिनांक 31/01/2025 की पेशी पर प्रार्थीगण / प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की अनुपस्थित का वेग एवं विधि सम्मत कारण नहीं है, ऐसी स्थिति में आदेश 09 नियम 13 सीपीसी के प्रावधान

3/24
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

लागू नहीं होते है जिससे यह प्रार्थनापत्र कानूनन पोषणीय न होने से निरस्तनीय है।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण / प्रतिवादी संख्या 01 व 02 द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थनापत्र सर्वथा असत्य एव आधारहीन होने व कानूनन पोषणीय नहीं होने से उदाहरणीय खर्चे पर खारिज फरमाया जाये।

7- उभय पक्षकारान् के निवेदन पर बहस सुनी गई।

8- सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम पर बहस सुनी गई।

9- विद्वान अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 1 व 2 (प्रार्थीगण) ने अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम में वर्णित तथ्यो को दौहराते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि उक्त अनवान सदर की एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 13 धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण में दिनांक 31.01.2025 को प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 के विरुद्ध एक्स पार्टी अमल में लायी गयी है एवं दिनांक 13.02.2025 को उक्त प्रकरण में एक्स पार्टी निर्णय पारित कर दिया गया। जिस बाबत ने अधिवक्ता प्रार्थीगण के कोई जानकारी नहीं दि एवं हाल ही में दिनांक 23.05.2025 को गाँव के कुछ व्यक्तियों ने बताया कि तुम्हारे खाते में तो प्रेम और सजना (वादीगण) का नाम का नाम जुड़ गया, जिस पर हम प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 24 व 25 मई 2025 को राजकीय अवकाश होने से दिनांक 26.05.2025 को न्यायालय में आकर जानकारी की तब पता चला कि उक्त प्रकरण में दिनाक 31.01.2025 को प्रार्थीगण प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 के विरुद्ध एक्स पार्टी हो गयी है एवं दिनांक 13.02.2025 को उक्त प्रकरण में एक्स पार्टी निर्णय पारित कर दिया गया। जिस पर प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 26.05.2025 को न्यायालय नकल प्राप्त आज दिनांक को यह प्रार्थना पत्र दिनांक 15/03/2025 से 28/03/2025 तक का समय कंडोन किया उचित होगा।

उक्त दिनांक 15/03/2025 से 28/03/2025 तक का समय कंडोन किया जाने बाबत प्रस्तुत किया गया है।

जिस कारण से अधिवक्ता द्वारा आगामी कार्यवाही बाबत् जानकारी नहीं दिये जाने के कारण प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके है।

प्रार्थीगण को उक्त प्रकरण के खारिज होने की जानकारी 23.03.2025 को हुई, इस कारण से आदेश दिनांक 15.03.2025 से

11/3/26
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

28.03.2025 तक का समय कण्डोन किया जाना न्यायोचित एवं विधि पूर्ण है। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र प्रस्तुत है।

इत्यादि तर्को के आधार पर निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर दिनांक 15.03.2025 से 28.03.2025 तक का समय कण्डोन किया जाने का आदेश प्रदान कराया जावे।

10. विद्वान अभिभाषक वादीगण की ओर से प्रतिवादी सख्या 1 व 2 के विद्वान अभिभाषक के तर्को का पुरजोर विरोध करते हुए, अपने जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो दौहराते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थनापत्र की धारा संख्या-1 का उत्तर है कि उक्त अनवान का एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी का प्रस्तुत करना स्वीकार है, किन्तु उक्त प्रार्थनापत्र सर्वथा विधि विपरित होने से अवश्य ही निरस्त होगा।

प्रार्थनापत्र की धारा संख्या-2 जिस कदर अंकित की गयी है. गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण एवं उनके अधिवक्ता की अनुपस्थिति के कारण उनके विरुद्ध दिनांक 31/01/2025 को एकपक्षीय कार्यवाही होना एवं दिनांक 13/02/2025 को निर्णय एवं डिक्री पारित किया जाना स्वीकार है, किन्तु प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थनापत्र में विलम्ब का समुचित एवं पर्याप्त कारण प्रस्तुत नहीं किया है। प्रार्थीगण द्वारा यह अंकित करना की गाँव के कुछ व्यक्तियों द्वारा खाते में प्रेम व सजना का नाम जुड़ जाने बाबत् बताया गया है, जो तथ्य आश्चर्यप्रद एवं हास्यप्रद है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के खाते की जानकारी भला क्यों रखेगा। प्रार्थीगण द्वारा मात्र कपोलकल्पित एवं मिथ्या कहानी गढ़ यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह प्रार्थनापत्र निरस्त होने योग्य है।

प्रार्थनापत्र की धारा संख्या-3 का उत्तर है कि प्रार्थीगण किसी प्रकार से विलम्बित अवधि को क्षम्य कराने के अधिकारी नहीं है।

प्रार्थनापत्र की धारा सख्या-4 व 5 गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण/प्रतिवादी सख्या-1 व 2 तथा उनके अधिवक्ता की प्रकरण में घोर उदासीनता एवं लापरवाही रही है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थनापत्र में जिन कारणों का उल्लेख करते हुए विलम्बित अवधि को क्षम्य कराना चाहा है, वे उचित एवं पर्याप्त नहीं है। प्रार्थीगण को सुनवाई के समुचित एवं पर्याप्त अवसर प्रदान किये गये थे, किन्तु उनके द्वारा सम्यक जागरूकता नहीं रखी गयी, वैसे भी अधिवक्ता द्वारा प्रकरण की जानकारी न दिये जाने का कारण उपसंजात नहीं होने का समुचित एवं न्याय संगत कारण नहीं है, यहां यह भी अंकित किया जाना समिचिन है कि न्याय शास्त्र के अनुसार जो भी पक्षकार अपने अधिकारों के प्रति सोया रहता है, विधि उसकी मदद नहीं करती है। इस प्रकार प्रश्नगत प्रकरण में प्रार्थीगण / प्रतिवादी संख्या-1 व 2 की सम्यक जागरूकता प्रकट नहीं होती है। प्रार्थीगण को यह

11/3/26
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने में हुए प्रतिदिन के विलम्ब हेतु स्पष्ट एवं ठोस आधार अंकित करना था, किन्तु ऐसा कोई आधार अपने प्रार्थनापत्र में प्रार्थीगण / प्रतिवादीगण ने अंकित नहीं किया है, जिससे विलम्बित अवधि को कानूनन क्षम्य नहीं किया जा सकता है। प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र असत्य एवं आधारहीन होने से अस्वीकार है।

प्रार्थनापत्र की धारा संख्या-6 गलत होने से अस्वीकार है। खण्डन में शपथपत्र पेश है।

इत्यादि तर्को के आधार पर निवेदन किया कि प्रार्थीगण/प्रतिवादी संख्या-1 व 2 का यह प्रार्थनापत्र सर्वथा असत्य एवं आधारहीन होने से सव्यय खारिज फरमाया जावे।

11- विद्वान अभिभाषक वादीगण की ओर से अपने तर्को के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये, जिनका सम्मानपूर्वक अवलोकन किया गया–

न्यायिक दृष्टान्त 2005 ए.आई.आर. (एस.सी.) पेज 3460 सिविल अपील नम्बर 1079/2004 बउनवानी दामोदरन पिल्लई व अन्य बनाम साउथ इण्डियन बैंक लि0 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित फरमाया गया कि– Restorution of execution application- Limitation- Starting point- Would be date of order dismissing execution application and not knowledge there about.

न्यायिक दृष्टान्त 2007 आर.बी.जे पेज 438 (एस.सी.) सिविल अपील नम्बर 720/2007 बउनवानी गोपीनाथन पिल्लई बनाम स्टेट ऑफ केरला व अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित फरमाया गया कि– Indian Limitation Act. 1963- Section 5- When there is no satisfactory reason for condoning deay, it cannot be condoned.

न्यायिक दृष्टान्त 2001 आर.बी.जे. पेज 432 निगरानी संख्या 19/1995 रूपकिशोर व अन्य बनाम कनूराम व अन्य में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित फरमाया गया कि– Limitation Ac. 1963, Section 5- When petitioner had full knowledge of the proceedings- delay cannot be condoned.

न्यायिक 2005 आर.बी.जे. पेज 132 निगरानी/कोलो/81/99 बउनवानी श्रीमती रहमत बनाम ओमप्रकाश व अन्य में माननीय राजस्व मण्डल ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित फरमाया कि– Indian Limitation Ac. 1963, Section 5- CONDONATION OF DELAY- On the basis the of false plea, delay cannot be condoned.

13/26

सहायक कलेक्टर
भीलवाड़ा

न्यायिक दृष्टान्त 2000 आर.बी.जे पेज 402 रिविजन नम्बर 29/95 बउनवानी स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम श्रीमती पुष्पा में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा निर्णय दिनांक 01.06.2000 पारित फरमा यह सिद्धान्त प्रतिपादित फरमाया गया कि- Limitation Act 1963- Section 5- for condonation of delay there should be proper explaination.

न्यायिक दृष्टान्त 1997 आर.आर.डी पेज 349 अपील नम्बर 33/96 स्टेट ऑफ राज. बनाम अर्जून राम व अन्य में माननीय राजस्व मण्डल की खण्डपीठ ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित फरमाया कि- Limitation Act. Section 5- Delay of each day is to be expainatined- Pre-occupation of satisfactory reason-State Govt. cannot be given favoueed treatincent.

12- हमने बहस पर चिन्तन, मनन व विचार किया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन व अध्ययन किया। मूल वाद संख्या 35/2016 की पत्रावली का भी गहनता से अवलोकन व अध्ययन किया तो पाया गया कि न्यायालय द्वारा मूल वाद में आदेश दिनांक 31.01.2025 पारित कर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध विधिवत् प्रक्रिया के तहत एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई थी और तत्पश्चात निर्णय व डिक्री दिनांक 13.02.2025 पारित की गई थी। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 (प्रार्थीगण) ने दिनांक 28.05.2025 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 एवं धारा 151 सी0पी0सी0 पेश कर मूल वाद में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.02.2025 को खारिज करने का अनुतोष चाहा है तथा साथ ही प्रार्थीगण के विरूद्ध पारित एकतरफा आदेश दिनांक 31.01.2025 को सेट-असाईड करने का अनुतोष भी चाहा है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 (प्रार्थीगण) ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 एवं धारा 151 सी0पी0सी0 म्यांद बाहर पेश किया है और धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम का आवेदन पेश कर दिनांक 15.03.2025 से 28.03.2025 की अवधि को कण्डोन करने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थीगण ने अधिवक्ता के जरिये मूल वाद में पैरवी करने का कथन किया है और यह भी कथन किया कि प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने प्रार्थीगण को एकपक्षीय कार्यवाही आदेश एवं निर्णय व डिक्री की कोई जानकारी नहीं दी। जानकारी होने का कारण अंकित किया कि हाल ही में दिनांक 23.05.2025 को गाँव के कुछ व्यक्तियों ने बताया कि तुम्हारे खाते में तो प्रेम और सजना (वादीगण) का नाम जुड़ गया। जिस पर न्यायालय में आकर जानकारी की और दिनांक 26.05.2025 को नकल प्राप्त होने पर जानकारी हुई।

16/3/26

सहायक कलक्टर

हमारी सुविचारित राय में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 (प्रार्थीगण) द्वारा विलम्ब के संबंध में जो उपरोक्त वर्णित कारण अंकित किया गया है वह सन्तोषप्रद, समुचित व प्रर्याप्त कारण नहीं है। हम वादीगण द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित इस तथ्य सह सहमत है कि प्रार्थीगण द्वारा यह अंकित करना की गाँव के कुछ व्यक्तियों द्वारा खाते में प्रेम व सजना का नाम जुड़ जाने बाबत् बताया गया है, जो तथ्य आश्चर्यप्रद एवं हास्यप्रद है. क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के खाते की जानकारी भला क्यों रखेगा। प्रार्थीगण द्वारा मात्र कपोलकल्पित एवं मिथ्या कहानी गढ़ यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीगण को सुनवाई के समुचित एवं पर्याप्त अवसर प्रदान किये गये थे, किन्तु उनके द्वारा सम्यक जागरूकता नही रखी गयी, वैसे भी अधिवक्ता द्वारा प्रकरण की जानकारी न दिये जाने का कारण उपसंजात नहीं होने का समुचित एवं न्याय संगत कारण नहीं है, यहां यह भी अंकित किया जाना समिचिन है कि न्याय शास्त्र के अनुसार जो भी पक्षकार अपने अधिकारों के प्रति सोया रहता है, विधि उसकी मदद नहीं करती है। इस प्रकार प्रश्नगत प्रकरण में प्रार्थीगण / प्रतिवादी संख्या-1 व 2 की सम्यक जागरूकता प्रकट नहीं होती है। प्रार्थीगण को यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने में हुए प्रतिदिन के विलम्ब हेतु स्पष्ट एवं ठोस आधार अंकित करना था, किन्तु ऐसा कोई आधार अपने प्रार्थनापत्र में प्रार्थीगण / प्रतिवादीगण ने अंकित नहीं किया है, जिससे विलम्बित अवधि को कानूनन क्षम्य नहीं किया जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण एवं न्यायिक दृष्टान्तो में प्रतिपादित सिद्धान्तो के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 (प्रार्थीगण) को धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम का लाभ प्रदान किया जाकर विलम्ब कण्डोन/माफ किये जाने की विधिक एवं न्यायिक मंशा नहीं है। अतएव प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

13. जहाँ तक प्रश्न आदेश 9 नियम 13 एवं धारा 151 सी. पी.सी. का है। प्रार्थीगण ने उनके विरूद्ध पारित एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने के आदेश दिनांक 13.01.2025 को सैट-असाईड करने तथा निर्णय व डिक्री दिनांक 13.02.2025 को खारिज करने बाबत् आधार यह लिया कि प्रार्थीगण ने प्रकरण की पैरवी करने हेतु पूर्व अधिवक्ता श्री मनोज कुमावत को नियुक्त किया था और उक्त प्रकरण में प्रार्थीगण की ओर आगामी सम्पूर्ण कार्यवाही करने बाबत् अधिकृत किया गया। जिस पर अधिवक्ता द्वारा हम प्रार्थीगण से कुछ हरे कागजो पर हस्ताक्षर करवाये गये एवं कहा गया कि इस पर आपकी ओर से जवाबदावा लिखकर न्यायालय में पेश कर दिया जायेगा। इसके उपरान्त हमारे अधिवक्ता द्वारा हमें यह कहा गया कि अब आपकी आवश्यकता गवाह के समय होगी, बार-बार

16/3/26

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

कोर्ट में आने की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थीगण नियमित रूप से न्यायालय में उपस्थित नहीं होकर थोड़े-थोड़े समय के अन्तराज में अधिवक्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रकरण की जानकारी लेते रहते थे। प्रार्थीगण ने दिनांक 24.01.2025 को अन्तिम बार पेशी पर आये उस समय कोर्ट नहीं लगने के कारण आगे की तारीख उस दिन नहीं दी गई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने कहा कि आज कोर्ट नहीं लगेगी तथा तारीख लेट देगे इसलिये एक-दो दिन में आकर अगली तारीख की मालूम कर लेना। इसके उपरान्त प्रार्थीगण द्वारा कई मर्तबा अपने अधिवक्ता से तारीख की जानकारी चाही तो उन्होनें कहा कि अभी तारीख आयी नहीं, आयेगी तो मैं जानकारी करके बता दूँगा। प्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी, जिसमें प्रार्थीगण का किसी प्रकार का दोष नहीं है क्योंकि प्रार्थीगण अपने अधिवक्ता के विश्वास पर रह गये थे एवं अधिवक्ता की गलती की सजा प्रार्थीगण को दिया जाना न्यायोचित नहीं होगा, इत्यादि तथ्य दर्ज किये है।

हमारी सुविचारित राय में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 (प्रार्थीगण) ने असालतन एवं वकालतन अनुपस्थित रहने का कोई सन्तोषप्रद कारण नहीं बताया है तथा न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.02.2025 को मंसुख/खारिज करवाने बाबत् भी कोई सन्तोषप्रद कारण/आधार नहीं बताया है। न्यायालय द्वारा दिनांक 14.08.2016 को वाद रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये तलबाना करने के आदेश पारित किये गये थे। दिनांक 24.02.2021 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता उपस्थित हुए हो गये थे। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को जवाबदावा पेश करने हेतु दिनांक 12.05.2001, 25.06.2021, 28.10.2021, 29.11.2021, 11.03.2021, 20.05.2022, 22.07.22, 07.10.2022, 20.01.2023, 24.02.2023, 31.03.23, 12.05.2023, 30.06.2023, 11.08.2023, 06.10.2023, 24.11.2023, 02.02.2024, 12.04.2024,14.06.24, 30.08.2024, 22.11.2024, 11.12.2024, 18.12.2024, 07.01.2025, 07.01.2025, 13.01.2025 तक अवसर प्रदान किया गया परन्तु जवाबदावा पेश नहीं किया गया। दिनांक 16.01.2025 को 200/- रूपये की कोस्ट पर अवसर प्रदान करते हुए जवाबदावा हेतु पेशी दिनांक 21.01.2025, 24.01.2025 को अवसर प्रदान किया गया परन्तु जवाबदावा पेश नहीं किया गया। दिनांक 31.01.2025 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 असालतन एवं वकालतन अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध नियमानुसार विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने के आदेश पारित किये गये जो पूर्णतया विधिसम्मत व न्यायसंगत है जिसको बिना किसी युक्तियुक्त व सद्भाविक कारण व आधार के सैट असाईड किये जाने की विधिक एवं न्यायिक मंशा नहीं है।

दिनांक 31.01.2025 को मूल वाद में वादी की साक्ष्य ली गई। प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहने के कारण जिरह बन्द की गई।

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

वादी पक्ष की ओर से अन्य साक्ष्य पेश नहीं करना चाहने पर साक्ष्य वादी बन्द की गई। दिनांक 10.02.2025 को प्रतिवादी संख्या 4 के अधिवक्ता द्वारा साक्ष्य प्रतिवादी पेश करने से इन्कार किया गया तथा आदेशिका में अपने हस्ताक्षर करके अंकित किया कि– "मैं कोई साक्ष्य पेश नहीं करना चाहता हूँ" जिस पर पत्रावली में आगामी पेशी दिनांक 13.02.2025 वास्ते बहस अन्तिम हेतु नियत की गई। दिनांक 13.02.2025 को बहस अन्तिम सुनी गई और निर्णय व डिक्री दिनांक 13.02.2025 पारित की गई। इस प्रकार न्यायालय द्वारा विधिसम्मत रूप से विधिक प्रक्रिया अपनाई जाकर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया गया है परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 व 2 अपना पक्ष प्रस्तुत करने में उदासीन, लापरवाह एवं निष्क्रिय रहे है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 (प्रार्थीगण) की ओर से विधिक प्रक्रिया के संबंध में उठाई गई आपत्तियां सर्वथा मिथ्या, गलत, भ्रामक व अभिलेख के विपरीत है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा उठाई गई आपत्तियाँ आदेश 9 नियम 13 सी0पी0सी0 के स्कॉप व परिधी के अन्तर्गत नहीं आती है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 (प्रार्थीगण) अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित मिथ्या व गलत तथ्यो के आधार पर न्यायालय द्वारा पारित विधिसम्मत निर्णय व डिक्री दिनांक 13.02.2025 को मंसुख/खारिज करवाने के अधिकारी नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 (प्रार्थीगण) ने न्यायालय के समक्ष जानबुझकर अनुपस्थित रहकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने के अधिकार को स्वतः समाप्त किया है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सारहीन व आधारहीन होने के कारण अस्वीकार कर खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

निष्कर्षतः अतएव प्रतिवादी संख्या 1 व 2 (प्रार्थीगण) की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 एवं धारा 151 सी0पी.सी. म्यांद बाहर होने तथा मिथ्या व गलत तथ्यो पर आधारित होने के कारण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 16/3/26 को सरे इजलास में सुनाया गया।

16/3/26

अरूण कुमार जैन
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा